रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112021-230941 CG-DL-E-03112021-230941

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4239]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2021/कार्तिक 12, 1943

No. 4239]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2021/KARTIKA 12, 1943

#### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2021

का.आ. 4601(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा-1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा दिनांक 2 नवम्बर, 2021 को उस दिन के रूप में नियत करती है जिस दिन उक्त अधिनियम की धारा 22 के स्पष्टीकरण के खंड (2) का उपबंध प्रवृत्त होगा।

[फा. सं.पी.15014/9/2019-एफआर] डॉ. मंदीप के. भंडारी, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

# NOTIFICATION

New Delhi, the 2<sup>nd</sup> November, 2021

**S.O. 4601(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section(3) of section 1 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Central Government hereby appoint the 02.day of November, 2021, as the day on which the provision of clause (2) of Explanation of Section 22 of the said Act, shall come into force.

[F. No. P.15014/9/2019-FR]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.

6393 GI/2021